# न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं–147/2025

रंजीत कुमार बल्द सुरेश प्रसाद
साकिन–पथेरी, थाना–अतरी, गया
. . . . . पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. आकांक्षा गुप्ता पे0 मनोज कुमार
साकिन–गोरिया कोठी, थाना–गोरिया कोठी, सिवान
वर्तमान खान निरीक्षक, नालन्दा . . . . . विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से विद्वान अधिवक्ता – श्री श्यामजी प्रसाद,
श्री ललन सिंह
श्री सच्चिदानन्द सिंह

बिहार राज्य की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री राजाराम सिंह

निर्णय पारित करने की तिथि– 08 जुलाई 2026 ई.

उपस्थित– आलोक कुमार पाण्डेय–।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा, नालन्दा

## निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्ता रंजीत कुमार द्वारा यह आपराधिक पुनरीक्षण चण्डी थाना काण्ड सं–155/2025 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित आदेश से विक्षुब्ध व असंतुष्ट होकर दाखिल किया गया है। चण्डी थाना काण्ड सं–155/2025 में आवेदक रंजीत कुमार की तरफ से दिनांक 05.04.2025 को जब्त वाहन की मुक्ति के संदर्भ में दिये गये आवेदन को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को खारिज कर दिया गया था।

2. पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से निवेदन किया गया है कि यह पुनरीक्षण आवेदन चण्डी थाना काण्ड सं–155/2025 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त रंजीत कुमार (पुनरीक्षणकर्ता) को दिनांक 05.04.2025 को न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.08.2025 अविधिक एवं मनमाना है एवं यह खारिज होने योग्य है। इस मामले में सामान्य आरोप यह है कि उक्त वाहन का चालक 850 सी.एफ.टी. फीट रेत ले जा रहा था, जब कि वैध चालान केवल 535 सी.एफ.टी. फीट रेत के लिए जारी किया गया था। आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि कोई भी अवैध कार्य नहीं किया गया। 850 सी.एफ.टी. फीट रेत ले जाने का आरोप सरासर

झूठा है। सूचक द्वारा कथित रेत का वजन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया तो किस आधार पर यह कहा गया कि 850 सी.एफ.टी. फीट रेत था, जब कि आवेदक की ओर से किसी धर्मकांटा में जाकर रेत का वजन करवाने का अनुरोध किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के वाहन से निकाली गई रेत को उनके द्वारा अवैध रूप से बेच दिया गया ताकि आवेदक की निर्दोषता का प्रमाण मिटाया जा सके। इन सभी तथ्यों पर निचली अदालत ने ध्यान नहीं दिया। सूचक द्वारा प्राथमिकी के साथ आवेदक की फोटो संलग्न की गई है लेकिन कथित रेत या बिजली के खंभों की कोई तस्वीर संलग्न नहीं की गई है, जो कथित तौर पर वाहन की लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे। ये दोनों बातें सूचक द्वारा जानबूझकर महत्वपूर्ण सबूतों को छिपाने का संकेत है। इस मामले के जांच अधिकारी अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता के विरूद्ध स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में मौजूद मत्वपूर्ण खामियों पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए वैध आदेश पारित नहीं किया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक का वाहन छोड़ने के निवेदन को अस्वीकार करने का एक कारण यह है कि आवेदक ने खनन विभाग द्वारा लगाये गये जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में खनन विभाग द्वारा कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि विभाग इस संबंध में वाहन के मालिक को कारण बताओ नोटिस न दे और मालिक को सुनवाई का अवसर न दिया जाये। इस मामले में आवेदक को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे बिहार खनिज नियमों के नियम 56 के तहत खनन प्राधिकरण के समक्ष अपना बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। अतः निचली अदालत द्वारा आवेदक की वाहन छोड़ने की प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था इसलिए पारित आदेश खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के निवेदन को निचली अदालत द्वारा अस्वीकार करने का एक अन्य कारण यह है कि वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाने के कारण तीन बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गये थे लेकिन आवेदक ने नुकसान की राशि जमा नहीं की है। इस संबंध में यह कहना है कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि नुकसान के संबंध में आवेदक को कोई नोटिस देकर भरपाई की मांग नहीं की गई है और न ही उसके संबंध में निचली अदालत में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इसलिए निचली अदालत द्वारा इस आधार पर आवेदक के आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। इन कथनों के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.08.2025 को अपास्त घोषित करते हुए आवेदक के पक्ष में जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

3. सुनवाई के कम में मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। सुनवाई के कम में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने आवेदन में वर्णित कथनों को आधार बनाकर सुनवाई की गई है एवं विपक्षी बिहार राज्य की तरफ से सुनवाई के कम में यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.08.2025 पूर्णतः शुद्ध, विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण है एवं पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से दाखिल यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज होने योग्य है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस पुनरीक्षण वाद में आकांक्षा गुप्ता, खान निरीक्षक, नालन्दा भी विपक्षी के रूप में पक्षकार हैं एवं वे न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन की है कि उन्हें जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाय, किन्तु इस न्यायालय द्वारा उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन में वर्णित कथनों एवं पुनरीक्षण आवेदन से संबंधित अभिलेख पर उपस्थित तथ्यों एवं मूल अभिलेख तथा सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को सिर्फ इस बिन्दु पर मन्तव्य देना है कि क्या प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.08.2025 विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?

**मन्तव्य**

5. मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खान निरीक्षक, नालन्दा द्वारा थाना प्रभारी चण्डी थाना को तथाकथित घटना के संदर्भ में दिये गये आवेदन के आलोक में यह वाद चण्डी थाना काण्ड सं–155/2025 (अन्तर्गत धारा–281,125(ए),303(2),218,221 बी.एन.एस. एवं धारा–43,56,11 बिहार खनिज (रियायत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) अधिनियम 2019 एवं धारा–21,4 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957) के रूप में दर्ज की गई थी एवं मूल अभिलेख से संलग्न जब्तीसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में दिनांक 31.03.2025 को ग्राम–ढकनिया, थाना–चण्डी, नालन्दा में एक हाईवा (12 चक्का) रजि0 नं–बी.आर. 2जी.सी. 3865 जब्त किया गया था, जिसमें 850 सी.एफ.टी. पीला बालू लदा हुआ था। दिनांक 05.04.2025 को आवेदक रंजीत कुमार द्वारा इस जब्त वाहन को बालू सहित मुक्त करने का आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा संबंधित थाना, डी.टी.ओ. एवं खनन पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। दिनांक 05.04.2025 को ही आवेदक रंजीत कुमार को जमानत की सुविधा प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् न्यायालय के आदेश के आलोक में थाना से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें वर्णित है कि वाहन मुक्ति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है एवं डी.टी.ओ. प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है, जिसमें वर्णित है कि इस जब्त वाहन रजि0 नं– बी. आर. 2जी.सी. 3865 के मालिक रंजीत कुमार बल्द सुरेश प्रसाद है। इसके अतिरिक्त जिला एवं खनन पदाधिकारी का भी प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। तत्पश्चात् उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–I, हिलसा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को आदेश पारित करते हुए आवेदक रंजीत कुमार की तरफ से दिनांक 05.04.2025 को जब्त वाहन की मुक्ति के संदर्भ में दिये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसी प्रश्नगत आदेश से विक्षुब्ध व असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है। सुनवाई के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि इस पुनरीक्षण आवेदन के सुनवाई के दौरान इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं इस वाद के अनुसंधानकर्ता द्वारा अपना प्रतिवेदन भी इस पुनरीक्षण वाद में समर्पित किया गया है कि जब्त वाहन के संदर्भ में राज्यसात से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं चल रही है एवं इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त सुनवाई के क्रम में आवेदक की तरफ से आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि वे खनन विभाग या परिवहन विभाग द्वारा जो भी फाईन है, उसे देने को तैयार है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संबंधित थाना, डी.टी.ओ., खनन पदाधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता के प्रतिवेदन एवं मुख्यतः आवेदक द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–I, हिलसा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित आदेश वर्तमान परिस्थिति में अपास्त घोषित किये जाने योग्य है। अतः इस प्रश्नगत आदेश को अपास्त घोषित किया जाता है एवं पुनरीक्षणकर्ता के इस पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करते हुए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–I, हिलसा को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक रंजीत कुमार द्वारा खनन विभाग, परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क को जमा कर यदि उसकी मूल रसीद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–I, हिलसा अपने द्वारा निर्धारित प्रतिभूओं एवं शर्तों के साथ आवेदक से Indemnity Bond प्राप्त कर इस जब्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त कर देगें।

आदेश

विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.08.2025 को अपास्त घोषित करते हुए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक रंजीत कुमार द्वारा यदि खनन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा अधिरोपित शुल्क को जमा कर यदि उसकी मूल रसीद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तब विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–।, हिलसा अपने द्वारा निर्धारित प्रतिभूओं एवं शर्तो को निर्धारित करते हुए आवेदक रंजीत कुमार से उक्त आशय का Indemnity Bond प्राप्त कर इस जब्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त करेंगें।

दिनांक–08.07.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

मेरे द्वारा संशोधित, हस्ताक्षरित प्रश्नगत यह निर्णत आज उभय पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–08.07.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

# Crim. Revision-147/2025

| | |
|---|---|
| Uploading date | 10.07.2026 |
| Uploaded by | AJAY KUMAR (D.E.O.) |